न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

26.11.2024

वाद सं०– **एम०– 45/2024–25**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, जारी थाना) –बनाम– महबुब खान वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०– 85/2024 एवं **जारी थाना** अप्राथमिकी काण्ड सं०– **10/2024 दिनांक– 21.10.2024** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा– 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष **1.** महबुब खान, पे०– सबीर खान, सा०– बरवाडीह **2.** शाहरूख आलम, पे०– कुतुबुद्दीन आलम सा०– जरडा दोनों थाना– जारी, जिला– गुमला को **विधान सभा निर्वाचन, 2024** में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का परिणाम दिनांक– 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आर्दश आचार संहिता का भी समापन हो गया है। **थाना प्रभारी, जारी** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशांधित

26/11/24

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

26/11

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2024.12.10 14:56:44 +05:30
Location: 192.168.43.18

Scanned with ACE Scanner